

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

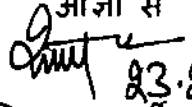
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश./ 594 /2021

दिनांक :24.02.2021

श्रीमती अंकिता चन्द्रावत (RJ1045), अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-06, जयपुर महानगर-I को दिनांक 22.02.2021 से 20.08.2021 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 21.02.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री ममता वर्मा (RJ1094), अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-07, जयपुर महानगर-I को श्रीमती अंकिता चन्द्रावत के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-06, जयपुर महानगर-I के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. सुश्री ममता वर्मा (RJ1094), जिनको अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-06, जयपुर महानगर-I के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से

23.2.2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/33/2016/ 1347

दिनांक :24.02.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-I को उनके पत्रांक 694 दिनांक 03.02.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती अंकिता चन्द्रावत (RJ1045), अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-06, जयपुर महानगर-I
4. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-06, जयपुर महानगर-I
5. सुश्री ममता वर्मा (RJ1094), अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-07, जयपुर महानगर-I
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-07, जयपुर महानगर-I
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार